कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश

परिपत्रांक सी-89/पी०ए० अधिकोषण / लखनऊः दिनॉकः 27 अक्टूबर, 2017

1. **समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,**
   सहकारिता, उ0प्र0।
2. **समस्त सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
   जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्रांक–सी–88 / पी0ए0 / अधिकोषण, दिनॉक 26–10–2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा फसली ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत नान एन0पी0ए0 से सम्बन्धित कृषको के ऋण विवरण सत्यापित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए है। प्रकरण की गम्भीरता एवं योजना की पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निर्गत निर्देशो में निम्नानुसार ऑशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि :–

1– जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता तथा सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जनपद के समस्त पात्र लाभार्थियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जिसमें उपर्युक्त सन्दर्भित परिपत्र के बिन्दु संख्या–1 में उल्लिखित प्रत्येक बिन्दुओं का भी परीक्षण किया जायेगा।

2– मण्डल के संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता / उप–आयुक्त एवं उप–निबन्धक,सहकारिता द्वारा अपने मण्डल के कम से कम 5 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन इस प्रकार किया जाएगा कि उक्त सत्यापन में मण्डल के सभी जनपदों के लाभार्थी समान रूप से आच्छादित हो जाए।

3– उक्तानुसार समस्त सत्यापन का कार्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित कर लिया जाय।

पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्यापन के समय समिति स्तर पर पात्र लाभार्थियों के ऋण खाते एवं समिति द्वारा तैयार की गयी पात्रता सूची तथा बैंक स्तर पर से पोर्टल पर प्रविष्टि किए गए विवरण का मिलान भी अवश्य कर लिया जाय।

(अजय चौहान)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक– सी-89/पी०ए० अधिकोषण लखनऊः तद् दिनॉक।

प्रतिलिपिः– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– **समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,सहकारिता उ0प्र0।**

2– **समस्त नोडल अधिकारी / अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक,सहकारिता उ0प्र0।**

3– **प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।**

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।